(7)

संख्या 1126 / II–2011–03(05) / 2009

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
सयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 02 ~~मई~~ जून, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनागत पक्ष में निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1605 / मुअवि / बजट / बी–1 सामान्य, दिनांक 27.04.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं, जिनका उल्लेख संलग्नक–1 में किया गया है, हेतु ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन / फाँट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी)—4 में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711—बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01—बाढ़ नियंत्रण—103 सिविल निर्माण कार्य 03—अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव—24—वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—127/XXVII(2)/2010, दि0—26 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1126(1)/II—2011—03(05)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2— अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4— निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
10— नियोजन विभाग।
11— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 1123/II-2011-03(05)/2009, दिनांक 2/8/11 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹

क्र0	योजना का विवरण	योजना की लागत	दिनांक 31.03.2011 तक व्यय धनराशि	अवशेष	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून में देहरादून नगर बिन्दाल नदी की किनारे कारगी चौक पुल से निरन्जनपुर तक की बाढ़ सुरक्षा योजना	299.15	202.93	96.22	36.21
2	कण्डोपुर नाले से बद्रीपुर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना	282.00	234.65	47.35	47.35
3	जि0 देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे चिड़ोवाली से आर्यनगर तक की बा0सु0यो0	284.75	216.30	68.45	68.45
4	थलीसैंण/बीरोंखाल विकास क्षेत्र की बैजरो बाढ़ सुरक्षा योजना	53.75	33.23	20.52	20.52
5	जनपद पौड़ी में खो नदी पर ग्रास्टगंज, गाडीघाट एवं कांशीराम ग्राम की बाढ़ सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण की योजना । (मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 17/2008 के अन्तर्गत)	391.20	40.00	351.20	20.00
6	जनपद पौडी में मालन नदी के बांये तट पर स्थित शिवराजपुर व देवरामपुर ग्रामसभा की बाढ़ सुरक्षा योजना। (मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 17/2008 के अन्तर्गत)	126.17	30.00	96.17	16.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल में ज्यूंदी सेरा व गढ़वाल विश्वविद्यालय के उद्यान केन्द्र की भूमि व अन्य सम्पत्ति की बा0सु0यो0	95.00	88.55	6.45	6.45
8	ज0 उत्तरकाशी के इन्द्रावती गाड़ के दोनो ओर स्थित 5 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना	82.80	47.47	35.33	35.33
9	ज0नैनीताल के चोरगलियां कस्बे की नन्धौर नदी से बाढ़ सुरक्षा, कटाव निरोधक एवं स्पिल रोकथाम कार्यो की पुनरीक्षित यो0	229.10	224.60	4.50	4.50
10	जनपद नैनीताल के ओखल कांडा वि0ख0 के अन्तर्गत नन्धौर नदी से डाल कन्या व कुन्डल ग्रामों की सुरक्षा हेतु बा0सु0यो0	73.85	41.92	31.93	31.93
11	जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्रस्तावित सरेण्डा ड्रेन से भूरा रानी ग्रामीण क्षेत्र की जल निकासी की प्रत्योजना	43.20	36.37	6.83	6.83
12	जनपद ऊधमसिह नगर के सितारगंज तहसील के अन्तर्गत बिचवा व टुकडी ग्रामों की देवहा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	149.00	105.94	43.06	43.06
13	जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील के अन्तर्गत चीकाघाट क्षेत्र की आबादी को कैलाश नदी की बाढ़ से बचाव हेतु बाया बैंक पर एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत मार्जिनल बन्ध का निर्माण कार्य	4.95	1.05	3.90	3.90
14	जनपद ऊधमसिंह नगर के कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम नस्तनगर की बा0सु0यो0	85.35	60.30	25.05	25.05
15	जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील के अन्तर्गत झुक्हा, कौंधा अशरफ एवं कौंधा रतन ग्रामों की कैलाश नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	86.55	52.23	34.32	34.32
	कुल योग	2286.82	1415.54	871.28	400.00

(₹ चार करोड़ मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।